राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी तहसील मुख्यालय पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री जीतमल खांट, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत परतापूर को स्थायी नगरपालिका बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र आहोर के उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री रतनलाल जलधारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सीकर के चांदपोल से धोद रोड़ तक सड़क निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री नानालाल अहारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के राजस्व ग्राम हाण्डीदरा (ग्राम पंचायत भाटिया कागदर), तहसील-ऋषभदेव, जिला-उदयपुर में हाण्डीदरा से मेन रोड़ भा. कागदर पंचायत भवन तक सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(VI) श्री संदीप शर्मा, सदस्य, विधान सभा, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नेत्र, नाक, कान तथा गला वार्ड प्रारम्भ कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(VII) डॉ. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के थाना प्रागपुरा क्षेत्र के लिये संचालित सिविल न्यायालय को कोटपूतली से हटाकर पावटा कस्बे में स्थानान्तरित किया जाकर जनता को राहत दिलाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..2..

(VIII) श्री गौतम कुमार, सदस्य, विधान सभा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बौहैड़ा, पंचायत समिति- बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ की चारदिवारी निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IX) श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान सभा, उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक- 4) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश,2016(2016 का अध्यादेश संख्यांक- 4) को अस्वीकार करता है ।"

(II) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान राज्य में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..3..

(II) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान आई.एल.डी.कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक- 1) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2017 को प्रख्यापित राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक- 1) को अस्वीकार करता है ।"

(II) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-9)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 06 मार्च, 2017